तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/11/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप०। इजराय [illegible] [illegible] की शामिल [illegible] जाता है वादी के वाद को स्वीकार किया गया है विरुद्ध निर्णय प्रस्तुत है लिया जाकर पत्रावली शामिल की पत्रावली में मूल मुकदमे के नम्बर [illegible] पत्रावली जमा रिकार्ड [illegible] दाखिल हो। [illegible] [illegible signature] उपखण्ड अधि[illegible] [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
118/2019	27.05.2019	17.11.2025

बउनवान

1. पूर्ण पुत्र श्री लीलाराम जाति माली निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र श्री नत्थूराम
2. खेमचन्द पुत्र श्री नत्थूराम
3. सुनिता पुत्री श्री नत्थूराम
4. सुन्नी पुत्री श्री नत्थूराम
5. कौशल्या पत्नि स्व0 श्री नत्थूराम जातियान माली निवासीयान मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. रामनिवास पुत्र श्री मनोहरलाल जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. रामनाथ पुत्र श्री सूरजभान
8. रामधन पुत्र श्री सूरजभान जातियान प्रजापत निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. मनीष पुत्र रामधन जाति प्रजापत निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर
10. उप पजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर
11. तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर
12. फतूमल पुत्र तेजूमल जाति पंजाबी निवासी मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. दयालचन्द पुत्र तेताराम जाति पंजाबी निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
14. रिंकूराम गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता जाति महाजन निवासी मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. उजेन्द्र कुमार पुत्र छूट्टनलाल जाति खाती निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

<u>प्रतिवादीगण</u>

दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख० नं0 2424/0.05 है0, 2427/0.25 है0, 2428/0.13 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0, व ख० नं0 3172/2420/0.06 है0, 2429/1.60 है0, का 60/126 भाग वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 5 की सामलाती खातेदारी की आराजी है। व ख० नं0 2421/0.50 है0, का 35/40 भाग वाके ग्राम मुण्डावर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 8 की सामलाती की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी है। जो खातेदारी की आराजी मौजूदा वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। मुलाहेजा हेतू हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

2. यह है कि उक्त विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 का दिनांक 04/11/17 को बंहामी बंटवारा हो गया तथा, जिसे समाज व गांव के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों ने आपस में बैठकर दोनो पक्षों की सहमति से करवाया था। जिस राजीनामा/बंटवारानामा को 100 रूपयें के स्टाम्प पेपर व दो सादा कागज पर लिखा गया था, असल स्टाम्प प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 के कब्जे में है। व फोटोप्रति मिन वादी के पास है, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।
3. यह है कि बंटवारानामा के अनुसार वादी के हिस्से ख० नं0 2424/0.05 है0, में तरफ पूर्व में ख० नं0 2427/0.25 है0, 2428/0.13 हैकर का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में व ख० नं0 2421/0.50 है0, का 32/40 का 1/2 भाग तरफ पूर्व में ख० नं0 2420 का 1/2 भाग तरफ पूर्व में ख0 नं0 2429/1.60 हैक०, का 60/126 हिस्सा में से तरफ पूर्व तथा तरफ दक्षिण में हिस्से आया इसी प्रकार मौके पर काबिज हो गये तथा अपनी आराजी में सुधारात्मक कार्य कर बोरिंग इत्यादि पाईप लाईन डालकर अधिक उपयुक्त काश्त योग्य बनाकर काश्त करने लग गये जो आज तक अपने हिस्से पर काबिज है।
4. यह है कि प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 सुभाष वगैरा के हिस्से आयी आराजी ख० नं0 2424/0.05 है०, तरफ पश्चिम में ख० नं0 2427/0.25 है०, 2428/0.13 हैक०, का 1/2 भाग तरफ पूर्व में ख० नं0 2421/0.50 है०. में से 32/40 भाग का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में ख० नं0 2420 का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में ख० नं0 2429/1.60 है0, का 60/126 का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में हिस्से आया इसी प्रकार दोनो पक्षकार मौके पर काबिज हो गये व काश्त करने लग गये।
5. यह है कि आराजी ख० नं0 2423/0.04 हैक०, गैरमुमकिन चाह दोनो पक्षों ने सामलाती रखा जो आज भी सामलाती है।
6. यह है कि वादी ने पटवारी हल्का को कई बार बंटवारेनामें के आधार पर उक्त आराजी का तकासमा करने का निवेदन किया लेकिन पटवारी हल्का ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया अब प्रतिवादीगणों के मन में बेईमानी आयी हुयी है। इसलिये वो लठ के बल पर शामलाती रिकोर्ड का नाजायज फायदा उठाकर शामलाती आराजी का बेचान करना चाहते है। तथा वादी के हिस्से में कब्जा देना चाहते है।
7. यह है कि वादी ने दिनांक 19/05/19 को प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 ने अजनबी विक्रेता दीगर शक्स को वादी के हिस्से की आराजी मौके पर दिखायी तथा वैयनामा कराकर वादी की आराजी में ही कब्जा देने की कहने लगा वादी ने मना किया तो आमादा झगडा फिसाद हो गये तथा कहा कि तू कितना ही जोर लगा ले मैं कब्जा तेरी ही आराजी में से दूंगा। अजनबी केता भी इस बात पर सहमत दिखायी दिया तथा एक बार वैयनामा होने पर अपने आप कब्जा लेने की बात कहने लगा। इसलिये दावा हु० ई० दवामी पेश करना लाजिम आया है।
8. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी और प्रतिवादीगण की राजस्व रिकोर्ड में शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

रहे है। राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज है, तथा लगान सरकारी शामलाती जमा करा रहे है।

9. यह है कि उक्त विवादित आराजी बंटवारे के अनुसार मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की रिकोर्डली शामलाती भूमि है, अगर प्रतिवादीगण मिन वादी को बेदखल कर कब्जा करने में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अहजद क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपये पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है।
10. यह है कि मिन वादी प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है।
11. यह है कि उक्त विवादित आराजी मे मिन वादी खातेदार है, अपने हिस्से पर काबिज है, काश्त कर रहा है. उक्त वाद में सुविधा का सन्तुलन बहक वादी के पक्ष में है। और अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन वादी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है।
12. यह है कि वादी ने दिनांक 19/05/19 को प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 ने अजनबी विक्रेता दीगर शक्स को वादी के हिस्से की आराजी मौके पर दिखायी तथा वैयनामा कराकर वादी की आराजी में ही कब्जा देने की कहने लगा वादी ने मना किया तो आमादा झगडा फिसाद हो गये तथा कहा कि तू कितना ही जोर लगा ले मैं कब्जा तेरी ही आराजी में से दूंगा। इस प्रकार दिनांक 19/05/19 से बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह करार दिया जावे कि आराजी ख० नं0 2424/0.05 है0, 2427/0.25 है0, 2428/0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है०, व ख0 नं0 3172/2420/0.06 है0, 2429/1.60 है0, का 60/126 भाग वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 5 की सामलाती खालेदारी की आराजी है। व ख० नं0 2421/0.50 है0, में से 35/40 भाग वाके ग्राम मुण्डावर का लिखित बंटवारा दिनांक 04/11/17 के अनुसार बाद कुरेजात के तकासमा की फाईनल डिकी जारी की जावे आदेश दिये जावे, तथा मिन वादी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकोर्ड के बंटवारा करके खाता अलग से कायम किया जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) यह करार दिया जावे कि उक्त विवादित आराजी बंटवारानामा के अनुसार वादी के हिस्से ख० नं0 2424/0.05 है0, में तरफ पूर्व में ख० नं0 2427/0.25 है0, 2428/0.13 है0 का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में व ख० नं० 2421/0.50 है0, का 32/40 का 1/2 भाग तरफ पूर्व में ख0 नं0 2420 का 1/2 भाग तरफ पूर्व में ख० नं0 2429/1.60 है0, का 60/126 हिस्सा में से तरफ पूर्व तथा तरफ दक्षिण में हिस्से आया है। इसी अनुसार वादी के हक में डिकी पारित कर राजस्व रिकोर्ड में अलग से खाता, लगान कायम किया जाकर व राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

(स) यह करार दिया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 ल० 5 को आराजी ख० नं० 2424/0.05 है०, तरफ पश्चिम में ख० नं0 2427/0.25 है0, 2428/0.13 है०, का 1/2 भाग तरफ पूर्व में ख० नं0 2421/0.50 है0, में से 32/40 भाग का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में ख० नं0 2420 का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में ख० नं0 2429/1.60 है0, का 60/126 का 1/2 भाग तरफ पश्चिम में हिस्से आया है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 ल0 5 के हक में डिकी पारित कर राजस्व रिकोर्ड में अलग से खाता, लगान कायम किया जाकर व राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश फरमाये जायें। तथा शेष आराजी को प्रतिवादी सं० 6 ल० 8 के हक में मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कर दी जाये।

(द) यह है कि प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी को दिगर जगह रहन, बैय, मुन्तकिल ना करे ना कोई निर्माण करे, ना ही मिन वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे। राजस्व रिकोर्ड एवं मौक की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश दिये जावे।

(य) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे ।
वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित आये।

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 5 व 7, 8 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि दावा का जिम्मन नं० 1 बाबत आराजी है, जो सही है, स्वीकार है।
2. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 2 सही है, स्वीकार है।
3. यह है कि दावा का जिम्मन नं० 3 सही है, स्वीकार है।
4. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 4 सही है, स्वीकार है।
5. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 5 जो सही है, स्वीकार है।
6. यह है कि दावा का जिम्मन नं० 6 इतना सही है कि सहमति से बंटवारे के लिये तहसील कार्यालय व हल्का पटवारी के पास पक्षकारान चक्कर लगा चुके है। परन्तू प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की व वादी के कब्जे वाली आराजी को बेचान करने या कब्जा करने की ना कभी कहा ना ही मंशा रखते है।
7. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 7 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से आयी आराजी को ना तो किसी को दिखाया ना ही किसी से बेचान की बात की गयी थी वादी को किसी प्रकार भ्रम हो सकता है, परन्तू वास्तविक मंशा इस तरह की प्रतिवादीगण की नहीं है।
8. यह है कि दावा का जिम्मन नं० 8 सही है, स्वीकार है।
9. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 9 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ना तो वादी के हिस्से आयी आराजी में प्रवेश कर रहे है ना ही वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने की मंशा रखते है। यादी स्वंय

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

भ्रमित हो रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई एक्ट नहीं किया ना ही करने का प्रयास किया है ना ही ऐसी मंशा रखते है।

10. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 10 गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण रिकोडेर्ड खातेदार है, आराजी मौके पर विभाजित है, प्रतिवादीगण स्वंय के हिस्से आयी आराजी पर काबिज है, उपयोग उपभोग कर रहे है। अब प्रतिवादीगण के परिवार का विभाजन होने से पशुबाडे व चारा के मकान की आवश्यकता होने के कारण अपने हिस्से की आराजी में पशुबाडा आदी बनाना चाहते है। अब कुछ दिनो बाद सर्दियों का मौसम आजायेगा ऐसी स्थिति में पशुबाडा (टीनशैड) बनाना आवश्यक रहेगा। वादी ने यही अवसर देखकर वाद दायर कर स्थगन आदेश जारी कराया है। वादी स्वंय को कोई असुविधा व क्षति नहीं हो रही है। परन्तू प्रतिवादीगण को क्षति पहुंचाने के लिये स्थगन आदेश जारी कराया है। आराजी पूर्व से विभाजित है, दोनो पक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल है। प्रतिवादीगण कोई भी निर्माण परिवार की आवश्यकता के कारण अपने हिस्से की आराजी में करेगें वादी के हिस्से में प्रवेश नहीं करेगें। प्रतिवादीगण द्वारा मकान निर्माण किये जाने के कारण वादी के हिस्से की आराजी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। इसलिये वादी प्रतिवादीगण से अच्छे हित नहीं रखता है केवल शामलाती रिकोर्ड की आड में दूसरे सहखातेदार के खातेदारी अधिकारों पर अतिचार नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात पहुंचाने के लिये वाद पेश किया है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है।
11. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 11 गलत है, स्वीकार नहीं है।
12. यह है कि दावा का जिम्मन नं0 12 गलत है, स्वीकार नहीं है।

यह है कि दावा का जिम्मन नं0 16 बाबत प्रार्थना है जो स्वीकार फरमायी जाकर वादी का वाद डिकी किया जावे एवं सभी सहखातेदारान के हिस्से का विभाजन कर लगान कि जावे तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रारम्भिक निर्णित किया जाकर विवादित आराजी का कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2021/3594 दिनांक 10.09.2021 से प्राप्त हुई। पत्रावली शामिल है। उक्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष द्वारा उज्र प्रार्थना पत्र पेश किया। उभयपक्ष का उज्र प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2025/3131 दिनांक 12.05.2025 से प्राप्त हुआ। पत्रावली शामिल है।

प्रार्थना पत्र उजात कुर्रे रिपोर्ट 06/05/2025 के बाबत प्रार्थी/प्रतिवादी उजेन्द्र की और से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि प्रार्थी ने बैयनामा आराजी ख० नं0 3172/2420 में से तत्तकालीन खातेदारान से कराया था खाता सं० 565 में इंतकाल सं० 4813

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ और मौके पर कब्जा विक्रेता ने भूखण्ड पर कब्जा दिया था।

2. यह है कि दिनांक 06/05/2025 को पटवारी हल्का व क्षेत्रीय कानूनगो ने मौका रिपोर्ट मिन प्रार्थी की गैरमौजूदगी में तैयार की गयी है कुरें रिपोर्ट तैयार करते समय आराजी में पक्षकार के टाईटल का ही ध्यान नहीं दिया जिस ख० नं0 2427, 2428, 2429, 2424 में प्रार्थी का नाम नहीं है, उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी को हिस्सा दिये जाने बाबत कुर्रे प्रस्ताव तैयार किया गया है।
3. यह है कि जिस खसरा नम्बर में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी को हिस्सा दिया जा रहा है भविष्य में उक्त प्रस्ताव व उक्त प्रस्ताव के आधार पर किये जाने वाले निर्णय व इन्द्राजात को संबंधित व्यक्ति चुनौती देकर राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज किये जाने का उज्ज उठा सकते है कि प्रार्थी ख० नं0 2427, 2428, 2429, 2424, का कभी खातेदार नहीं था इन खसरा नम्बर में प्रार्थी का नाम गलत आया है इस प्रकार भविष्य में मुकदमें बाजी बढेगी एंव इस प्रकार किये गये निर्णय व इन्द्राज विवाद का विषय हर समय बना रहेगा।

अतः. प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 06/05/2025 रिकोर्ड एवं मौके के खिलाफ है इसलिये रिपोर्ट पुनः मंगवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

वादी पक्ष की संक्षिप्त बहस

1. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1–5 सहखातेदार हैं, जिनकी विवादित भूमि खसरा नं. 2424, 2427, 2428, 2421, 2420, 2429 आदि खातेदारी में सामलाती दर्ज है। जमाबंदी रिकॉर्ड एवं दस्तावेज संलग्न हैं।
2. पक्षकारों में दिनांक 04.11.2017 को लिखित बंटवारा/राजीनामा हुआ, जो रू0 100 स्टाम्प व सादे कागज पर लिखा गया था। उक्त बंटवारानामा के अनुसार दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्सों पर कब्जे, काश्त एवं सुधारात्मक कार्य करते हुए आज तक शांतिपूर्वक काबिज हैं।
3. वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर बोरिंग, पाइपलाइन एवं सुधारात्मक कार्य कर भूमि को अधिक उपजाउ बनाया। वादी के हिस्से पर लगातार काश्त होती रही है।
4. प्रतिवादीगण द्वारा शामलाती रिकॉर्ड का गलत लाभ लेकर वादी के हिस्से पर बेचान व कब्जा देने का प्रयास किया गया। 19.05.2019 को अजनबी विक्रेता को भूमि दिखाकर वादी के हिस्से में कब्जा देने की धमकी दी गई, जिससे फौरी झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई।
5. प्रतिवादीगण द्वारा लगातार कब्जा–अतिक्रमण व बेदखली की धमकी मिलने पर वादी को वाद प्रस्तुत करना पड़ा। वादी लगातार पटवारी से तकासमा हेतु निवेदन करता रहा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
6. विवादित भूमि रिकॉर्डली सामलाती होते हुए, बंटवारानामा एवं मौके के कब्जे के अनुरूप वादी अपने हिस्से पर पूर्ण रूप से काबिज है। यदि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में अतिक्रमण करने में सफल हो जाते हैं तो वादी को अजहद/अपूरे क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

7. वादी की ओर से श्रीमान द्वारा निर्देशित कुर्रेजात प्रस्ताव से सहमति है, किन्तु प्रतिवादी की ओर से गलत आपत्तियाँ उठाकर अनावश्यक देरी की जा रही है।
8. अतः वादी पक्ष निवेदन करता है कि बंटवारानामा दिनांक 04.11.2017 को मान्य मानकर कब्जे एवं हिस्सेदारी के अनुरूप फाइनल तकासमा/डिकी जारी कर अलग खाता खोला जाये। प्रतिवादीगण को हु.ई.दवामी (Permanent Injunction) से पाबंद किया जाए कि न तो कब्जा करें, न बेचान करें, न निर्माण करें, न वादी के कब्जे व काश्त में बाधा उत्पन्न करें।

प्रतिवादी पक्ष की संक्षिप्त बहस

1. दावे के मुख्य जिम्मन (1 से 6 व 8) सही स्वीकार हैं।दोनों पक्ष सहखातेदार हैं तथा भूमि सामलाती है।
2. प्रतिवादी स्वीकार करते हैं कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवारे के लिए पटवारी/तहसील के चक्कर लगाए, परन्तु प्रतिवादीगण ने कभी भी वादी की भूमि को बेचान करने या कब्जा देने की न मंशा रखी है और न ही ऐसा कोई कार्य किया है।
3. जिम्मन नं. 7 व 9 के आरोप सर्वथा गलत हैं। प्रतिवादीगण ने न किसी अजनबी को भूमि दिखाई, न बेचान की बात की, न ही वादी के हिस्से में प्रवेश करने की मंशा है।
4. प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कब्जे एवं काश्त करते हैं। वादी भ्रम में अनावश्यक आरोप लगा रहा है।
5. प्रतिवादी केवल अपने हिस्से पर पशुबाड़ा/टीन शेड निर्माण परिवारिक आवश्यकता हेतु करना चाहते हैं, जिससे वादी को कोई क्षति नहीं होगी। वादी अत्यधिक रोक–टोक कर प्रतिवादियों को हानि पहुँचाना चाहता है।
6. कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 06/05/2025 में प्रार्थी/प्रतिवादी उजेंद्र कुमार का यह कहना सही है कि जिन खसरा नम्बरों में वह खातेदार नहीं है, वहां हिस्सेदारी प्रस्तावित करना रिकॉर्ड व कानून दोनों के विपरीत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट मौके व रिकॉर्ड के खिलाफ है।
7. प्रतिवादी यह कहते हैं कि यदि सभी सहखातेदारों के हिस्सों का सही बंटवारा कर फाइनल डिकी पारित की जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
8. अतः प्रतिवादी निवेदन करते हैं कि वादी के झूठे आरोपों में कोई दम नहीं है प्रतिवादीगण कभी भी वादी के कब्जे में दखल नहीं देंगे अदालत द्वारा रिकॉर्ड एवं कब्जे के अनुरूप सही तकासमा निर्णय पारित किया जाए। प्रतिवादी पर स्थायी प्रतिबंध (हु.ई.दवामी) लगाने का कोई आधार नहीं है।

संक्षिप्त विवेचन

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद पत्र में वर्णित दावों, संलग्न दस्तावेजों, मौके के कब्जे, राजस्व रिकॉर्ड, बंटवारानामा दिनांक 04.11.2017, कुर्रेजात प्रस्ताव तथा प्रतिवादीगण के जवाब–दावे एवं प्रस्तुत उज्र प्रार्थना पत्रों पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि—

1. वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विवादित आराजी खसरा संख्या 2424, 2427, 2428, 2421, 2420, 2429 आदि ग्राम मुण्डावर में रिकॉर्डली

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

सामलाती खातेदारी के रूप में दर्ज है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 तथा 07–08 ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है।

2. दिनांक 04.11.2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के मध्य बँटवारा हुआ, जो स्टाम्प एवं सादे कागज पर लिखित उपलब्ध है। बंटवारानामा के अनुसार दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्सों पर मौके पर कब्जे में आकर काश्त एवं उपयोग करते रहे हैं। यह तथ्य भी प्रतिवादीगण द्वारा विवादित नहीं किया गया।
3. मौके की स्थिति, वादी द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य (बोरिंग, पाइपलाइन, काश्त), तथा दी गयी रिपोर्टों से यह भी स्थापित होता है कि वादी अपने हिस्से की आराजी पर वास्तविक कब्जेदार है और लगातार काश्त करता रहा है।
4. प्रतिवादीगण ने दावा किया कि उन्होंने वादी के हिस्से की भूमि को न तो बेचान किया, न कब्जा दिया तथा न कोई बाधा उत्पन्न की, किन्तु प्रतिवादीगण कुर्रेजात/तकासमा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं रखते एवं स्वयं विभाजन की मांग भी कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि बंटवारानामा एवं कब्जे की स्थिति विवादित नहीं, बल्कि स्वीकृत है।
5. न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्देशित कुर्रेजात प्रस्ताव पत्रांक 10.09.2021 एवं संशोधित रिपोर्ट दिनांक 12.05.2025 दोनों से यह स्थापित होता है कि विवादित आराजी विभाज्य है तथा बंटवारानामा के अनुसार हिस्सेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा सकती है।
6. उपलब्ध साक्ष्य, रिकॉर्ड, कब्जे, बंटवारानामा, एवं प्रतिवादीगण की आंशिक स्वीकृति से यह न्यायालय स्पष्ट संतुष्ट है कि वादी का दावा न्यायोचित, प्रमाणित, तथ्य–सिद्ध तथा स्वीकार योग्य है।
7. यदि प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से से बेदखल किया जाता है तो वादी को अजहद एवं अपूरणीय क्षति होगी, जिसका प्रतिकार संभव नहीं होगा। वादी का दावा हु.ई.दवामी (Permanent Injunction) की दृष्टि से भी पूर्णतया उचित प्रतीत होता है।

अतः समस्त परिस्थितियों, कब्जे, रिकॉर्ड, बंटवारानामा एवं प्रतिवादी की आंशिक स्वीकारोक्तियों को देखते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2424/0.05, 2427/0.25, 2428/0.13, 3172/2420/0.06, 2429/1.06 व 2421/0.50 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में "प्रदर्श–अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को पृथक पृथक अमल दरामद, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
118/2019	27.05.2019	17.11.2025

बउनवान

1. पूर्ण पुत्र श्री लीलाराम जाति माली निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र श्री नत्थूराम
2. खेमचन्द पुत्र श्री नत्थूराम
3. सुनिता पुत्री श्री नत्थूराम
4. सुन्नी पुत्री श्री नत्थूराम
5. कौशल्या पत्नि स्व0 श्री नत्थूराम जातियान माली निवासीयान मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. रामनिवास पुत्र श्री मनोहरलाल जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. रामनाथ पुत्र श्री सूरजभान
8. रामधन पुत्र श्री सूरजभान जातियान प्रजापत निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
9. मनीष पुत्र रामधन जाति प्रजापत निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर
10. उप पजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर
11. तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर
12. फतूमल पुत्र तेजूमल जाति पंजाबी निवासी मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. दयालचन्द पुत्र तेताराम जाति पंजाबी निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
14. रिंकूराम गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता जाति महाजन निवासी मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. उजेन्द्र कुमार पुत्र छूट्टनलाल जाति खाती निवासी मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

<u>प्रतिवादीगण</u>

दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री हसंराज यादव एडवोकट** व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव, श्री मनोज कुमार एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 17.11.2025** को **सृष्टि जैन उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर **2424/0.05, 2427/0.25, 2428/0.13, 3172/2420/0.06, 2429/1.06** व **2421/0.50** है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में "प्रदर्श–अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को पृथक पृथक अमल दरामद, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner